

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 1973/चैत्र 22, 1895

No. 139] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1973/CHAITRA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Office of the Controller of Capital Issues

NOTIFICATION

New Delhi, 12th April 1973

S. O. 213(E).—In pursuance of Sub-clause (ix) of Clause 5 of the Capital Issues (Exemption) Order, 1969, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S. O. 558 dated the 1st February 1969, the Central Government hereby directs, that during the calendar year 1973 no offer of securities in excess of Rs. 249 lakhs (Nominal value) (exclusive of amount to be subscribed by the Government and non-residents) by a public limited Company shall be made or kept open during the period between 1st May, 1973 and 15th May, 1973 (both days inclusive) without obtaining the prior permission of the Central Government as to the timing of the offer.

[No. F. 2 (3)-CCI/73]

R. M. BHANDARI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

पूँजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1973

सा० आ० 213 (अ).—पूँजी निर्गम (छूट) आदेश 1969 के खण्ड 5 के उप-खण्ड (ix) के अनुसरण में, जिसे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक पहली फरवरी 1969 की अधिसूचना संख्या एम०ओ० 558 के साथ प्रकाशित किया गया था, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि 1973 के कैलेंडर वर्ष में किसी भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा पेशकश के समय के सम्बन्ध में भारत सरकार की पूर्वानुमति लिये बिना, 249 लाख रुपये (अंकित मूल्य) (इसमें सरकार और अतिवासीयों द्वारा अभिदान की जाने वाली रकम शामिल नहीं है) से अधिक की प्रतिभूतियों की पेशकश नहीं की जायेगी या न पहला मई 1973 और 15 मई 1973 के बीच की अवधि में (इसमें उक्त दोनों तारीखें शामिल हैं) खुली रखी जायेगी।

[संख्या एफ० 2(3)—सी०सी० आई०/73]

रणजीत मल भण्डारी, संयुक्त सचिव।